उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी उद्यमों ने वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक लाभ अर्जित किया है। अर्जित लाभ तथा एकक वार लाभ एवं हानि का ब्यौरा 23 फरवरी, 1994 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं. 18 एवं विवरणी पृष्ठ सं. 42 से 52 तक पर दिया गया है। सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु किए जाने वाले सामान्य उपायों का उल्लेख उक्त सर्वेक्षण की पृष्ठ सं. 150 पर किया गया है।

(घ) और (ङ) रुग्ण तथा घाटा उठाने वाले एककों को बन्द करने के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के निर्णय पर तथा प्रत्येक एकक को अंतिम तौर पर आर्थिक रूप से अक्षम मान लिए जाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर निर्भर करता है।

लघु रुग्ण औद्योगिक एककों के लिये पुनरुद्धार नीति

542. श्री अजीत जोगी:
श्री चौधरी हरि सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुद्धार के लिये पृथक नीति तैयार कर रही है;

(ख) क्या ऐसी नीति तैयार करते समय लघु एककों पर से सभी तरह के नियंत्रण समाप्त करने की वांछनीयता पर भी विचार किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार लघु रुग्ण एककों के लिये तैयार की गयी पृथक नीति की मुख्य-मुख्य विशेषताओं को प्रचारित करने का विचार रखती है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

तथापि, केन्द्र सरकार के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भूतपूर्व डिप्टी गवर्नर श्री पी. आर. नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, इसने सितंबर, 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ रुग्णता की समस्याओं तथा अन्य संबद्ध पहलुओं की जांच की थी। समिति ने रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन के लिए अनेक सिफारिशें की थीं जिनमें रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की एक संशोधित परिभाषा, बैंकों द्वारा अलग प्रकोष्ठों का सृजन, राज्य स्तर के न्यायाधिकरणों की स्थापना, शिकायतें दूर करने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों का एक मंच के रूप में प्रयोग, राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समिति को पुन: चालू करना, आदि शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ सिफारिशों पर अपने निर्णय की घोषणा पहले ही कर दी है, जैसे रुग्ण एककों के संशोधित परिभाषा, रुग्ण एककों के पुनर्वास पर वसूल की जाने वाली ब्याज की कम दर, एकक के रुग्ण होने का पता लगने के क्रमश: 3 माह और 6 माह के भीतर जीव्यता अध्ययन/उपचार कार्यक्रम आरंभ करना आदि।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Foreign investment and projects in India

543. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how much foreign investment in India is proposed to be made after the pronouncement of new Industrial Policy in 1991, with the total number of projects/amount of money likely to be invested;

(b) how many foreign projects, including collaboration projects, have actually come up during 1991 -93 and in the current year, with the number of projects/investments actually made; and

(c) the areas in which these projects have actually come up/are likely to come up, with separate figures of the number of projects/ investments made in the areas like (i) Infrastructure (ii) basic Industries (iii) consumer articles including food stuffs, etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (c) Since the announcement of New Industrial Policy, 1679 proposals envisaging total foreign direct investment of Rs.13161.41 crores have been approved till December, 1993. Industry-wise break up of number of projects and foreign investment approved is given in the Annexure *[See* Appendix 170, Annexture No. 11].

These projects are at different stages of implementation depending upon their gestation